संख्या-425/2018/558/22-2-2018-17(116)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 12 मई 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी जनपद-कौशाम्बी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोबेशन-3/(एम-06-04-2018) दिनांक-16-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-04-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी-विदन पुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 31-10-2000 को दोपहर लगभग 02:30 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर विनोद कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध गवाही देकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने के कारण हेमलता पत्नी रामप्रकाश पाण्डेय की बन्दूक से फायर कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-936/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1510/2004 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2018 तक 16 वर्ष 11 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने मा0 न्यायालय में गवाही देकर सजा दिलाने की रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर हेमलता नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की उम्र 42 वर्ष है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में इनके प्रकरण में गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया गया। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर द्वारा फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल मिस रिट याचिका संख्या 7422/2018 पवन कुमार ऊर्फ टमाटर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 का संगत अंश निम्नवत् उद्धृत है:-

".....Accordingly, the writ petition is allowed. The order bearing No. 878 /2017 /2409/22-2-2017-17(116)/2016 dated 20.11.2017 passed by the Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh is quashed. The Government of Uttar Pradesh is directed to reconsider the case of the petitioner for release by license as per provision of Act, 1938 by taking into consideration all the recommendations and opinions made available to it by different authorities. The Government of Uttar Pradesh while examining the case of the petitioner for release by license shall also keep in mind the intent of the Act, 1938. The consideration in the terms as above is required to be made within a period of one month from the date the petitioner presents a certified copy of this order before the Superintendent, Central jail who in turn shall forward the same to the the Government of Uttar Pradesh."

4- अत: मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दि□नांक 27-03-2018 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करते हुए मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर (पुरानी बन्दी संख्या-4465/04 व बन्दी संख्या-320/2017) पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी जनपद-कौशाम्बी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित) भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-425/2018/558(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कौशाम्बी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-425/2018/558/22-2-2018-17(116)/2016

दिनांक 12 मई, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर (पुरानी बन्दी संख्या-4465/04 व बन्दी संख्या-320/2017) पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी-विदन पुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 31-10-2000 को दोपहर लगभग 02:30 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर विनोद कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध गवाही देकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने के कारण हेमलता पत्नी रामप्रकाश पाण्डेय की बन्दूक से फायर कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-936/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1510/2004 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2018 तक 16 वर्ष 11 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने मा0 न्यायालय में गवाही देकर सजा दिलाने की रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से फायर कर हेमलता नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की उम्र 42 वर्ष है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में इनके प्रकरण में गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया गया। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार ऊर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in